बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

संख्या–02/क्षेत्रीय स्था0–15–07/2014– 3833

प्रेषक,

ललन कुमार सिंह,
उप निदेशक (मु0)।

सेवा में,

सभी उप निदेशक कल्याण, बिहार।
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, बिहार।
सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 28/4/16

विषयः क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मी को निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–8211 दिनांक–23.03.2011 के कंडिका–5, 6, एवं 08 तथा पत्रांक–4800 दिनांक– 01.04.16 के कंडिका–II (ii) में निहित प्रावधान के तहद इस विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ वर्ग कर्मी को 5200–20200 एवं ग्रेड पे–1900/–रू0 के वेतनमान में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर (उपलब्ध पद पर) प्रोन्नति देने पर विचार किया जाना है।

अतएव आपके अधीनस्थ कार्यरत चतुर्थ वर्ग कर्मी यदि इच्छुक है, तो उनका आवेदन के साथ–साथ उन सभी का मैट्रिक स्तर से उपर उत्तीर्ण होने का योग्यता प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर संचालन का योग्यता प्रमाण पत्र एवं संबंधित कर्मी का सेवापुस्त की अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ–साथ यह प्रमाणित कर भेजा जाय कि सूची में अंकित चतुर्थ वर्ग के कर्मी, निम्नं वर्गीय लिपिक पद का कार्य करने में सक्षम होगें। कृपया पत्र निर्गत की तिथि से 20 दिनों के अन्दर वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट की जाय ताकि वरीयता एवं योग्यता के साथ स्वच्छ छवि वाले चतुर्थ वर्गीय कर्मी को, निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जा सके।

28/4/16

विश्वासभाजन

(ललन कुमार सिंह),
उप निदेशक (मु0)।